न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2009
प्रविष्टि दिनांक 25.02.2009

सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

भेरू पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी महासिंहपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री सांवतराम मीना,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार
(2) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 03.09.2024**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार निवाई ने राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विपक्षी भेरू पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी महासिंहपुरा तहसील निवाई जिला टोंक को दिनांक 12.09.1978 को ग्राम महासिंहपुरा के खसरा नम्बर 34 में 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। विपक्षी ने आवण्टन शर्तो की पालना नही की है तथा ना ही मौके पर विपक्षी का कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवण्टन का निरस्त किया जावे ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि को लगातार काश्त की है तथा आवंटन के समय भूमि मे जगह–जगह गहरे गडडे थे। अप्रार्थी ने लाखो रूपये लगाकर भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाया है।भूमि मे हर वर्ष हजारो रूपये लगाकर मंहगा बीज लेकर स्यालू की फसल के लिए बाजरा व ग्वार की फसल काश्त करता आ रहा है। ग्राम महासिंहपुरा मे काफी वर्षो से वर्षा नही होने से फसल पक नही पाने से निर्धारित समय से पूर्व ही कट जाती है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर कभी भी गश्त नही की है। अप्रार्थी द्वारा बोई गई फसल का इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा नही किया गया है तो इसमे अप्रार्थी का कोई दोष नही है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना की है तथा जिन वर्षो मे वर्षा नही हुई है तो उस वर्ष मे फसल भी नही हुई है। अप्रार्थी को दिनांक 12.09.1978 को आवंटन हुआ है,जिसे लगभग 30 वर्ष से ज्यादा समय हो

जिला कलेक्टर
टोंक

गया है,जिससे अप्रार्थी स्वंत ही उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने का अधिकारी हो गया है। आवंटन पुराना होने से अब प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। पुराने आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी ने आवेदन पेश करने से पूर्व निष्पक्ष रूप से जांच नही की गई तथा मात्र पटवारी हल्का के कहने पर गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने इन तथ्यो को भी छिपाया है कि कब–कब अकाल पडा और उसकी वजह से काश्त नही हो सकी। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर कभी भी जिंस के बारे मे जांच नही की है। पटवारी द्वारा पटवार घर पर बैठकर आवंटित भूमि पर काश्त होते हुए भी खसरे मे अकंन नही किया है।

प्रकरण मे राजकीय पेरोकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 12.09.1978 को ख0न0 34 मे रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम महासिंहपुरा मे आवंटन किया गया है। आवंटित ने आवंटन शर्तो की पालना नही की है और ना ही आवंटित का मौके पर कब्जा है। नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम महासिंहपुरा मे संवत 2034 से 2045 व सम्वत 2062 से 2065 में खसरा नम्बर 34/1 मे रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि पडत बजड दर्ज है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई भूमि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की गई। आवण्टन शर्तों का उल्लघन हुआ है। अतः विपक्षी के आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी आ0ख0न0 34 मे रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम महासिंहपुरा मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटन के समय भूमि मे जगह–जगह गहरे गडडे थे। अप्रार्थी ने लाखो रूपये लगाकर भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाया है।भूमि मे हर वर्ष हजारो रूपये लगाकर मंहगा खाद–बीज लेकर स्यालू की फसल के रूप मे बाजरा व ग्वार की फसल काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम महासिंहपुरा मे काफी वर्षो से वर्षा नही होने से फसल पक नही पाने से निर्धारित समय से पूर्व ही कट जाती है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर कभी भी गश्त नही की है। अप्रार्थी द्वारा बोई गई फसल का इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा नही किया गया है तो इसमे अप्रार्थी का कोई दोष नही है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना की है तथा जिन वर्षो मे वर्षा नही हुई है तो उस वर्ष मे फसल भी नही हुई है। अप्रार्थी को दिनांक 12.09.1978 को आवंटन हुआ है,जिसे लगभग 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है,जिससे अप्रार्थी स्वंत ही उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने का अधिकारी हो गया है। आवंटन पुराना होने से अब प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। पुराने आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी ने इन तथ्यो को भी छिपाया है कि कब–कब अकाल पडा और उसकी वजह से काश्त नही हो सकी। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर

जिला कलेक्टर

कभी भी जिंस के बारे मे जांच नही की है। पटवारी द्वारा पटवार घर पर बैठकर ही आवटित भूमि पर काश्त होते हुए भी खसरे मे अकंन नही किया है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। विपक्षी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में आवण्टित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है। अभिभाषक अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2008(1) आर.आर.टी. 610 (HIGH COURT) Pappu& Ors. vs. Jagram &Ors. पृष्ठ संख्या 610 उद्धरित किये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने राजकीय पेरोकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी भेरू पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी महासिंहपुरा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 12.09.1978 को केम्प निवाई मे ख0न0 34 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम महासिंहपुरा मे आवंटन किया गया है।

पेरोकार सरकार का कथन है कि नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम महासिंहपुरा मे संवत 2034 से 2045 व सम्वत 2062 से 2065 में खसरा नम्बर 34/1 मे रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि पडत बजड दर्ज है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई भूमि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की गई। आवण्टन शर्तों का उल्लघन हुआ है,परन्तु तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार निवाई द्वारा अपने पत्र कमांक 2951 दिनांक 14.03.2014 से दिनांक 12.09.1978 को जमाबंदी सम्वत 2033–36 अनुसार विपक्षी के नाम खातेदारी/नोशनल शेयर हिस्से अनुसार कृषि भूमि नही थी। आवंटन के समय आवंटित भूमि की स्थित मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37 के अनुसार उक्त आवंटन शुद्वा रकबा पर बजड डोल रिकार्ड मे अभिलिखित थी एंव वर्तमान मे उक्त आवंटन शुद्वा भूमि पर मौके पर जिन्स सरसो काश्त है। विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात राज्य सरकार को विधिवत नियमानुसार लगान बारानी स्थगित होने तक राशि जमा कराई गई की रिपोर्ट प्रेषित की है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2008(1) आर.आर.टी. 610 (HIGH COURT) Pappu& Ors. vs. Jagram &Ors. पृष्ठ संख्या 610 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने प्रकरण संख्या S.B. Civil Writ Petition Nos. 2851, 2852,2853, 4427 & 4368 of 2007 decided on 18th Jan. 2008 के पैरा सं. 6 में अंकित किया हैं कि A bare persual of the Rules clearly shows that condition of cultivation of the land to the extent of 50% in the first year and remaining in the second year no more exists. Now, the condition on the allottee is to bring the land under cultivation and to utilize it properly further.

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थी (तहसीलदार निवाई) ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 4 में अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की है और अप्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है।तहसीलदार निवाई द्वारा विचाराधीन प्रकरण दिनांक 29.09.2008 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2008 का है,जिसमे cultivation of the land to the extent of 50% in the first year and remaining in the second year no more exists. Now, the condition on the allottee is to bring the land under cultivation and to utilize it properly furtherd का उल्लेख किया है। वर्तमान मे आवंटित भूमि प्रतिपक्ष की गैर खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है, जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर भेरू पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी महासिंहपुरा तहसील निवाई जिला टोंक को दिनांक 12.09.1978 को ग्राम महासिंहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)